

अज अदालत:- उपखण्ड अधिकारी मुकाम:- राजाखेडा

सीयाराम

बनाम

पारवती वगै०

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र U/S 212 R.T.Act नम्बर 44 सन् 23

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
12.06.2023	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए बाद जांच दफ्तर से पेश हुआ। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों, शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं सायल के सुना गया। प्रथम दुष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन सायल के पक्ष में होना प्रतीत होता है।</p> <p>अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध गैरसालयान को दिनांक 18.07.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा 18.07.2023 तक के लिए जारी किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा 1307/390, 1309/407, 1311/422, 1313/594 स्थित ग्राम गढी टडावली तहसील राजाखेडा पर रहन, वय हस्तान्तरण नहीं करें, रिकार्ड एवं मौके की यथा-स्थिति बनायें रखें। इस संबंध में उन्हें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 18.07.2023 को इस न्यायालय में उपस्थित होकर उज्र पेश करें। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18.07.2023 को पेश हो।</p>	
18/7/23	वकील साथ उज्र पत्रावली दिनांक 20/7/23 को पेश हो	
20/7/23	<p>वकील पत्रावली उपस्थित। पत्रावली के अतिरिक्त उज्र मूल वद को नोट प्रेस कर दिया गया है अतः मूल वद की शोशनी में प्रोपस 2023 इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली कैशाल शुमार लोक तहसीलदार शय्याखेडा की त। खारिज हेतु पत्रावली पत्रावली कैशाल शुमार लोक मूल वद के साथ संलग्न रहे।</p>	